संख्या- 3/6 /1-11-2015- 26(जी)/2014

प्रेषक,

लीना जौहरी,

सचिव एवं राहत आयुक्त,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

बहराइच, गोण्डा, कुशीनगर, मुजफ्फनगर, पीलीभीत, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर एवं लखीमपुर खीरी।

राजस्व अनुभाग-11 लखनऊ: दिनांक: 05 जून, 2015

विषय: वर्ष 2014 में आई अचानक बाढ़ के कारण बाढ़ग्रस्त जनपदों में कृषि फसलों कों हुई क्षति के सापेक्ष कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने के लिये राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पूर्व आदेश दिनांक 16.01.2012 द्वारा दैवी आपदा से प्रभावित किसानों की फसलों की क्षति के लिये कृषि निवेश अनुदान दिये जाने हेतु निर्धारित मानक एवं दरों का विवरण इस प्रकार है:–

मद	सहायता की दरें
कृषि निवेश अनुदान (जहॉं पर फसल का नुकसान 50 प्रतिशत से अधिक हुआ हो)।	
(क) कृषि फसलों, बागवानी फसलों, वार्षिक वृक्षारोपण फसलों, के लिये।	• रू0 4,500/– प्रति हैक्टेयर: वर्षा असिंचित क्षेत्र में। • रू0 9,000/– प्रति हैक्टेयर सुनिश्चित सिंचित क्षेत्र में।
	(क) बिना बोये हुये क्षेत्र में अथवा परती भूमि में कृषि निवेश अनुदान अनुमन्य नहीं होगा। (ख) लघु किसानों को न्यूनतम भू–भाग पर भी सहायता के रूप में दी जाने वाली धनराशि न्यूनतम रू0 750/– होगी।
(ख) बारहमासी फसलें	• रू0 12,000/– प्रति हैक्टेयर : सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिये। (क) बिना बोये हुये क्षेत्र में अथवा परती/बंजर भूमि में कृषि निवश अनुदान अनुमन्य नहीं होगा। (ख) लघु किसानों को न्यूनतम भू–भाग पर भी सहायता के रूप में दी जाने वाली धनराशि रू0 1,500/– से कम नहीं होगी।
(ग) रेशम उत्पादक	• 3,200/– प्रति हैक्टेयर : इरी, मलबरी, और टसर के लिये। • रू0 4,000/– प्रति हैक्टेयर मूगा के लिये।
लघु तथा सीमान्त कृषकों से भिन्न कृषकों को कृषि निवेश अनुदान।	• रू0 4,500/– प्रति हैक्टेयर: वर्षा असिंचित क्षेत्र में। • रू0 9,000/– प्रति हैक्टेयर : सुनिश्चित सिंचित क्षेत्र में। • रू0 12,000/– प्रति हैक्टेयर : सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिये। **50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक फसल नुकसान पर, 01 हैक्टेयर प्रति कृषक तथा 02 हैक्टेयर प्रति कृषक गंभीर प्राकृतिक आपदा की निरन्तरता की स्थिति में।**

2– यह उल्लेख करना है कि वर्ष 2014 में बाढ़ से हुई क्षति के लिये प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों/किसानों को तात्कालिक राहत प्रदान किये जाने के लिये तत्समय जनपदों की मांग के क्रम में धनराशि स्वीकृत की गयी थी। अग्रेतर बाढ़ के सापेक्ष रू0 768.92 करोड़ का मेमोरेण्डम भारत सरकार को प्रेषित किया गया था जिसमें कृषि फसलों की क्षति हेतु रू0 69.11 करोड़ की मांग भी सम्मिलित थी। भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश को समायोजित करते हुये रू0 53.19 करोड़ की धनराशि कृषि फसलों के लिये प्रदान की गयी है। बाढ़ प्रभावित जनपदों द्वारा लघु एवं सीमांत कृषकों तथा लघु एवं सीमांत कृषकों से भिन्न कृषकों के लिये अवशेष कुल **रू0 22,85,96,748/-** की मांग की गयी है।

3– अत: वर्ष 2014 में अचानक आई बाढ़ के फलस्वरूप कृषि फसलों को हुई क्षति के अनुसार कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने के लिये वित्तीय वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के

अधीन रू0 22,85,96,748/- (रुपये बाइस करोड़ पचासी लाख छियानबे हजार सात सौ अड़तालिस मात्र) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	जनपद का नाम	पत्रांक / दिनांक	एस0एम0एफ0 हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 में	नॉन एस0एम0एफ0 हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 में	योग रू0 में
1	बहराइच	2303/12-5-15			64303145
2	गोण्डा	476/13-5-15	367746		367746
3	कुशीनगर		1415781	135000	1550781
4	मुजफ्फरनगर	873/18-5-15	3492090	597000	4089090
5	पीलीभीत	18-5-15	1150140	108000	1258140
6	श्रावस्ती	1785/15-5-15	61541346	0	61541346
7	सिद्धार्थनगर	69/14-5-15	59046000	427500	59473500
8	लखीमपुर खीरी	13/16-5-15	29794000	6219000	36013000
		योग	**156807103**	**7486500**	**228596748**

4- यह धनराशि वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-5-755/दस-2015, दिनांक: 21 मई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित की जा रही है। अत: इस धनराशि के व्यय का जिला स्तर पर अलग से समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से सम्बन्धित है। अत: इसका ऑन लाइन बजट आवंटन नहीं किया जायेगा। सम्बन्धित जनपद के कोषागार द्वारा ही बजट की फीडिंग की जायेगी।

5- उक्त व्यय प्रथमत: 8000-राज्य आकस्मिकता निधि-201-समेकित निधि से विनियोग और अन्ततः वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत- आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42 अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा ।

6- स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपभोग उसी प्रयोजन एवं मद में किया जायेगा, जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर अन्य किसी भी प्रयोजन में व्यय नहीं किया जायेगा।

7- ऐसा व्यय जिसके लिये बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो इसके लिये पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त व्यय किया जायेगा।

8- इस स्वीकृत धनराशि का व्यय-विवरण अलग से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

9- शासनादेश संख्या-4464/1-10-2008-14(45)/2003, दिनांक 24.09.2008 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये दैवी आपदा की सभी मदों में दिये जाने वाले रू0 2000/- तक की धनराशि का वितरण वियरर चेक के माध्यम से तथा रू0 2000/- से अधिक की धनराशि का वितरण एकाउण्टपेयी चेक के माध्यम से ही किया जाय।

10- इस धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

11- राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाये। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।

12- कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है । यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है । अत: आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है । अत: आपदा

मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

13- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई मे शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

14- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीया,

5/6/15

(लीना जौहरी)

सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या:-3/6 (1)/1-11-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व तथा सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन ।
5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, उ0प्र0।
6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।
7- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
8- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(मदन मोहन)

अनु सचिव।